राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 5(33)ग्रावि/नरेगा/समीक्षा/81137/2015 जयपुर, दिनांक : 23 MAY 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति वर्ष 2015–16 की समीक्षा के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के वर्ष 2015–16 की प्रगति की विभिन्न मापदण्डों पर समीक्षा की गयी।

समीक्षा के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1. रोजगार सृजन :– वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में अनुमोदित श्रम बजट की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक मानव दिवस सृजित किये गये है। अधिकांश जिलों में अनुमोदित श्रम बजट से अधिक मानव दिवस सृजित किये गये है परन्तु डूंगरपुर, बांसवाडा, जैसलमेर, जालोर, उदयपुर, बारां, बाडमेर एवं प्रतापगढ जिलों में अनुमोदित श्रम बजट की तुलना में कम मानव दिवस सृजित किये गये जबकि यह समस्त जिले पिछडे जिलों में सम्मिलित है एवं इनमें योजना के कियान्वयन की संभावनाएं अधिक है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रारम्भ से ही श्रमिक नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जावे एवं अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप श्रम नियोजन किया जाकर मानव दिवस सृजित किये जाने के प्रयास किये जावे। (चित्र 1)

2. विलम्बित भुगतान :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार मस्टररोल समाप्ति के 15 दिवस में श्रमिक भुगतान किया जाना अनिवार्य है। राज्य में कुल श्रम भुगतान का 53 प्रतिशत भुगतान विलम्ब से किया गया है। बांसवाडा, सवाईमाधोपुर, करौली, डूंगरपुर, बीकानेर, प्रतापगढ, उदयपुर एवं बाडमेर जिले में 60 प्रतिशत से अधिक श्रमिक भुगतान विलम्ब से किया गया है। विलम्बित भुगतान अत्यन्त चिन्तनीय विषय है। विलम्बित भुगतान की स्थिति में विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक के विरूद्व कार्यवाही की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि भुगतान में विलम्ब नही हो। वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ से ही सघन मॉनिटरिंग की जाकर विलम्बित भुगतान पर अंकुश लगाया जावे। (चित्र 2)

3. कृषि एवं इससे संबन्धित गतिविधियों पर व्यय :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 4 (2) के प्रावधानानुसार जिले में कुल व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं इससे संबन्धित गतिविधियों पर किया जाना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर कुल व्यय का 58 प्रतिशत व्यय कृषि एवं इससे संबन्धित गतिविधियों पर हुआ है। 18 जिलों यथा चित्तौडगढ, उदयपुर, राजसमन्द, टोंक, अलवर, भरतपुर, बून्दी, डूंगरपुर, प्रतापगढ, भीलवाडा, अजमेर, जयपुर, कोटा, पाली, जोधपुर, सीकर, बारां एवं सवाईमाधोपुर जिलों में इन गतिविधियों पर व्यय 60 प्रतिशत से कम रहा है। चित्तौडगढ, उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों में व्यय 40 प्रतिशत से भी कम है। कृपया आगामी वर्ष में प्रारम्भ से ही कृषि एवं इससे संबन्धित गतिविधियों से संबन्धित कार्य अधिक से अधिक कराए जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं इससं संबन्धित गतिविधियों पर हो। (चित्र 3)